

Form LTC
[Rule 163E (6)]

06/Pol.-114/2016

Form of License to Establish Pollution Testing Station.

License No.382/2017 **3474**

Dated : **5/7/2017**

1. A License is hereby granted to **Sri Deepak Kumar Singh, S/O-Sri Sanmukh Narayan Singh, Vill-Girdhariya, PO+PS- Shivsagar, Dist-Rohtas** to establish a pollution testing station. The P.T.S. will be established at place/building **Girdhariya, NH- 02, PO+PS- Shivsagar, Dist-Rohtas** The P.T.S is authorized to test the following types of vehicles :-


(a) **Petrol Diesel both**

Under Motor Vehicle Act 1988, Central Motor Vehicle Rules 1989 & Bihar Motor Vehicle Rules 1992.

2. The License will be valid from : **05-07-2017 to 04-07-2019**

Date :

Seal :


राज्य परिवहन आयुक्त
(Signature of Licensing Authority)
बिहार, पटना
25/7

The license is hereby renewed from ----- to -----

(Signature of Licensing Authority)


ज्ञापांक- **3474**

वैधता दिनांक- **5/7/2017**

प्रतिलिपि श्री **दीपक कुमार सिंह, पिता-श्री व नारायण सिंह, ग्राम-गिरधरीया, पो+प.स.पटना-शिवसागर, जिला-रोहतास** को **अर्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु** प्रेषित।

2. **गो आर 11/सभी डी.टी.के /बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना** को **चनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु** प्रेषित।

3. **ई. टी मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर डालने हेतु** सूचनार्थ प्रेषित।


राज्य परिवहन आयुक्त
(Signature of Licensing Authority)
बिहार, पटना
25/7

नोट :- यह अनुज्ञप्ति **राज्य परिवहन अधिनियम** के अधीन प्रदान की जाती है।

शर्तें :-

1. एक वार्षिक पंजी का संधारण, जिसमें प्रदूषण उत्सर्जन स्तर के लिये जांच किये गये मोटर वाहनों की विशिष्टियों का उल्लेख रहेगा।
 - (i) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र संख्या।
 - (ii) जांच किये गये वाहन की निबंधन संख्या, निर्माता, मॉडल तथा निबंधन का वर्ष।
 - (iii) निरीक्षण के समय गैस/धुएं का स्तर/कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतिशत।
2. निरीक्षण किये गये मोटर वाहन की निबंधन संख्या, निरीक्षण के परिमाण तथा निर्गत किये गये प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की संख्या के संबंध में जानकारी देते हुए अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को अगले माह के पांच तारीख तक मासिक प्रतिवेदन देना होगा।
3. अपना केन्द्र मोटर यान निरीक्षक या परिवहन विभाग के उच्चतर पंक्ति के किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिये खुला रखना होगा साथ ही केन्द्र द्वारा संधारित सभी उपकरण एवं अभिलेख उपलब्ध कराना होगा।
4. केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 115 के उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुपालन में मोटर वाहन की किमी भी त्रुटि को दूर करना होगा।
5. बिहार मोटर गाड़ी (संशोधन) नियमावली 2003 के नियम 163 ग के अधीन विहित फीस से अधिक प्रचारित नहीं करना होगा।
6. अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित पूर्वानुमोदन के दिना जांच केन्द्र को अनुज्ञप्ति में उल्लिखित परिसर से न हटाना होगा।
7. प्रदूषण जांच के लिए मोटर वाहन देने वाले मालिक या चालक के वाहन की जांच शीघ्र की जायगी तथा उन्हें जांच केन्द्र का मालिक अनिवार्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र शीघ्र देगा।
8. प्रदूषण जांच केन्द्र का मालिक चालक को संकेत देते हुए प्रदूषण जांच केन्द्र नामक एक साईन बोर्ड सहज दृश्य स्थल पर लगायेगा जिसमें उसका नाम, अनुज्ञप्ति संख्या तथा स्थान का नाम उल्लिखित रहेंगे।
9. प्रदूषण जांच केन्द्र का मालिक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की 100 पन्नों की तीन प्रतियों में बंधी हुई पुस्तिका, प्रत्येक पर क्रम से नम्बर अंकित होगी, संधारित करेगा और प्रत्येक पुस्तिका अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होगी।
10. अनुज्ञप्तिधारी को विभागीय अधिसूचना सं० 3144 दिनांक 05.08.2004 एवं विभागीय परिपत्र सं० 4064 दिनांक 12.10.2004 में निहित शर्तों का पालन करना होगा।
11. अनुज्ञप्तिधारी विभाग द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में ही प्रदूषण प्रमाण-पत्र निर्गत करेंगे।
12. प्रदूषण जांच केन्द्र में वेव-कैमरा का ही प्रयोग किया जायेगा। उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी।